संख्या–4055/9–आ–1–1999–120–विविध/98

प्रेषक,
**श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
**समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,**
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1 लखनऊ : दिनाँक : 25 अगस्त, 1998

**विषय : स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण हेतु प्रकिया का निर्धारण।**

महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 236/9 आ–1–1999/20 विविध!98 दिनाँक12.5.99 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा यह अपेक्षा की गई थी कि स्वैच्छिक शमनयोजना के अन्तर्गत अनधिकृत निर्माण से सम्बन्धि प्रकरणों का निस्तारण जून 30,1999 तक तथा ऐसे प्रकरण जिनमें भू–उपयोग परिवर्तन निहित है, का निस्तारण 30 दितम्बर, 1999 तक सुनिश्चित किया जाए।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने क निदशे हुआ कि भू–उपयोग परिवर्तन से सम्बन्धित प्रकरणों पर विचार करने हेतु विकास प्राधिकरण स्तर पर निम्न समिति का गठन किया जाता है जिसमें समस्त उपलब्ध न होने की स्थिति में किन्ही तीन सदस्यों को रखा जा सकता है :–

(i) विकास प्राधिकरण के मुख्य नगर नियोजक/मुख्य अभियंता अथवा नियोजन/ अभियन्त्रण अनुभाग का प्रभारी,
(ii) प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर–सरकारी सदस्य जिसे उपध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा,
(iii)लोक निर्माण विभाग के प्रतिनिधि जो अधिशाषी अभ्यिंता के स्तर से कम न हो तथा स्थानीय इंचार्ज हो,
(iv) अध्यक्ष, स्थानीय आर्किटेक्ट एसोसिएशन।

3– मुझे यह भी कहने का निर्देश हुआ है कि उपरोक्त समिति द्वारा निर्मित क्षेत्र तथा विकासशील/अविकसित क्षेत्र में भू–प्रयोग परिवर्तन के प्रकरणों को निम्न दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर अपनी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी :–

(i) विकास प्राधिकणों तथा आवास एवं विकास परिषद की आवसीय कालानियों/नियन्त्रित क्षेत्रों के ले–आउट प्लान के अन्तर्गत भू–उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही शासनादेश संख्या 2438/9–आ–3–98–60 एल.यू.सी./96 दिनांक 13.10.98 में निर्धारित प्रक्रियानुसार विकास प्राधिकरण बोर्ड तथा आवास एवं विकास परिषद के स्तरपर ही सम्पादित की जाएगी।

(ii) महायोजना अथवा जानल प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग के विरूद्ध किए गए निर्माण से सम्बन्धित प्रकरण प्राधिकरण बोर्ड/आवास एवं विकास परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन की स्वीकृति हेतु प्रेषित किए जाएंगे।

4– आपसे अनुरोध है कि भू–प्रयोग परिवर्तन के प्रकरणों पर उपराक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चत कर स्वैच्छिक शमन योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अवधि के अन्दर करने का कष्ट करें।

भवदीय,
**अतुल कुमार गूप्ता**
सचिव

संख्या–4055(1)/9–आ–1–1999–120 विविध/98 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषिक :–

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
2. अध्यक्ष, समस्तविकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य गनर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर निदेशक, आवास बन्धु।

आज्ञा से,
**रामबृक्ष प्रसाद**
संयुक्त सचिव